

न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सोनभद्र।

पत्रांक सं०-125//SBR, सोनभद्र

दिनांक-24.01.2024

आदेश

दिनांक 03.01.2023 को इस न्यायालय के आशुलिपिक के एक रिक्त पद पर अस्थायी रूप से नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया था। उक्त पद के लिए श्री रवीन्द्र कुमार श्रीवास्तव का आवेदन प्राप्त हुआ था। उक्त पद के सन्दर्भ में दिनांक 23.01.2024 को चयन समिति के अध्यक्ष व सदस्यगण के उपस्थिति में श्री रवीन्द्र कुमार श्रीवास्तव से साक्षात्कार किया गया। इस साक्षात्कार के दौरान श्री रवीन्द्र कुमार श्रीवास्तव द्वारा अपनी अस्वस्थता का कारण बताते हुए उक्त पद पर कार्य करने में असमर्थता व्यक्त किया है। इस सन्दर्भ में उनके द्वारा प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार अभी भी आशुलिपिक का पद रिक्त है। अतः उक्त पद पुनः आवेदन आमंत्रित किया जाना आवश्यक है।

अतः शासन के पत्र सं०-21/तीस-3-2019 परिवहन अनुभाग -3 लखनऊ, 14 फरवरी 2019 के परिवहन आयुक्त के पत्रांक-618 G/E/2019- T कवर/2018 अधिष्ठान अनुभाग लखनऊ दिनांक-30.07.2019 एवं संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र सं०-M.A.C.T. 73/30.03.2020 प्रशासन अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक-25.02.2020 सपठित माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक सं०-7135/2022/Admin G -1 Section Allahabad दिनांकित-01.06.2022 एवं विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक संख्या- M.A.C.T. 256/30-03-2022 परिवहन अनुभाग 2003 लखनऊ दिनांक-13.06.2022 द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र के अनुपालन में न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सोनभद्र हेतु एक अस्थायी आशुलिपिक पद हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

उपरोक्त रिक्त पद की अर्हताएं निम्नलिखित हैं :-

- (1) वह भारत का नागरिक हो।
- (2) सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो।
- (3) उसकी उम्र 65 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण न किया हो।

प्रार्थना पत्र के साथ मूल विभाग के अंतिम पाँच वर्षों की वार्षिक की प्रविष्टि तथा शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की प्रमाणिक प्रतिलिपि तथा फिटनेस प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद व जनपद न्यायालय सोनभद्र की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा। सिस्टम असिस्टेंट सोनभद्र उचित कार्यवाही करें तथा समाचार पत्र आदि में प्रकाशन जनपद के तथा सभी सरकारी विभागों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु A.R.T.O. प्रशासन, सोनभद्र उचित कार्यवाही करें। उक्त पद हेतु आवेदकगण अपना आवेदन दिनांक 12.02.2024 तक मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के कार्यालय अथवा **e-Mail mactson@allahabadhighcourt.in** अथवा A.R.T.O. प्रशासन, सोनभद्र के कार्यालय में जमा कर सकते हैं।

दिनांक-23.01.2024

भवदीय,

S.D.

(खलीकुज्जमा)

पीठासीन अधिकारी,

एम.ए.सी.टी., सोनभद्र।

न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सोनभद्र ।

पत्रांक सं०-126/II/SBR, सोनभद्र

दिनांक-24.01.2024

आदेश

शासन के पत्र सं०-21/तीस-3-2019 परिवहन अनुभाग -3 लखनऊ, 14 फरवरी 2019 के परिवहन आयुक्त के पत्रांक-618 G/E/2019- T कवर/2018 अधिष्ठान अनुभाग लखनऊ दिनांक-30.07.2019 एवं संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र सं०-M.A.C.T. 73/30.03.2020 प्रशासन अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक-25.02.2020 सपटित माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक सं०-7135/2022/Admin G -1 Section Allahabad दिनांकित-01.06.2022 एवं विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक संख्या- M.A.C.T. 256/30-03-2022 परिवहन अनुभाग 2003 लखनऊ दिनांक-13.06.2022 द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र के अनुपालन में न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सोनभद्र हेतु एक अस्थायी कनिष्ठ सहायक पद हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

उपरोक्त रिक्त पद की अर्हताएं निम्नलिखित हैं :-

- (1) वह भारत का नागरिक हो।
- (2) सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो।
- (3) उसकी उम्र 65 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण न किया हो।

प्रार्थना पत्र के साथ मूल विभाग के अंतिम पाँच वर्षों की वार्षिक की प्रविष्टि तथा शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की प्रमाणिक प्रतिलिपि तथा फिटनेस प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद व जनपद न्यायालय सोनभद्र की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा। सिस्टम असिस्टेंट सोनभद्र उचित कार्यवाही करें तथा समाचार पत्र आदि में प्रकाशन जनपद के तथा सभी सरकारी विभागों के नोटिस बोर्ड पर चरपा करने हेतु A.R.T.O. प्रशासन, सोनभद्र उचित कार्यवाही करें। उक्त पद हेतु आवेदकगण अपना आवेदन दिनांक 12.02.2024 तक मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के कार्यालय अथवा **e-Mail mactson@allahabadhighcourt.in** अथवा A.R.T.O. प्रशासन, सोनभद्र के कार्यालय में जमा कर सकते हैं।

दिनांक-23.01.2024

भवदीय,

S.D.

(खलीकुज्जमा)

पीठासीन अधिकारी,

एम.ए.सी.टी., सोनभद्र ।